Criteria Adopted for Reservation in the Recruitment of HKRN

Question No. *17: Sh. Rao Dan Singh (Mahendragarh):

Will the Chief Minister be pleased to state?

- a) The criteria adopted for reservation in making the recruitment under the Haryana Kaushal Rozgar Nigam (HKRN).
- b) The percentage of reservation given to the candidates of SC, BC(A), BC(B), and Ex-servicemen recruited under the HKRN so far.
- c) Whether any transfer policy has been formulated for the employees appointed by the Government through Haryana Kaushal Rozgar Nigam; if so, whether the posting of the said candidates is as per the transfer policy?

Answer: MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER

- a) Sir, the criteria adopted for reservation have been laid out by the Government in the "Deployment of Contractual Persons Policy, 2022" dated 30th June 2022, wherein Clause 9 specifies the reservation policy.
- b) The percentage of reservation allocated to candidates of SC, BC, General and ex-servicemen manpower deployed under the Haryana Kaushal Rozgar Nigam Ltd. is as follows:

Caste Category	Fresh manpower	Porting manpower	Fresh (%)	Ported (%)
ВС	3553	29288	27.05 %	27.69%
General	6870	44269	52.31%	41.86%
SC	2710	32190	20.63%	30.44%
Ex-				
servicemen	5	436	0.03%	0.41%

c) Sir, no transfer policy has been formulated for the manpower deployed by the Government through Haryana Kaushal Rozgar Nigam Limited.

हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्तियों निगम की भर्तियों में आरक्षण के लिए अपनाए गए मापदंड

प्रश्न संख्या - *17 राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़):

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगें किः

- (क) हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के अंतर्गत भर्तियों में आरक्षण के लिए अपनाए गए मापदंड क्या है;
- (ख) एच.के.आर.एन.एल. के तहत भर्ती किए गए अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग (ए), तथा पिछड़ा वर्ग(बी) सेवानिवृत अभ्यर्थियों को अब तक कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है; तथा
- (ग) क्या सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के लिए कोई स्थानांतरण नीति बनायी गई है; यदि हां, तो क्या उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्थानांतरण नीति के अनुसार है?

उत्तरः मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

क)महोदय जी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत आरक्षण का मापदंड सरकार द्वारा निर्धारित "Deployment of Contractual Persons Policy - 2022"दिनांक 30 जून 2022 की नीति के तहत निर्धारित की गई धारा '9' के अंतर्गत उल्लेख किया गया हैं।

ख)हरियाणा कौशल रोजगार निगमके अंतर्गतअनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, सेवानिवृत अभ्यर्थियों को दिए गए आरक्षण का प्रतिशत निम्नलिखित हैः

जाति श्रेणी	नई श्रमशक्ति	पोर्टिंग श्रमशक्ति	नई नियुक्तियां (%)	पोर्टड (%)
बी0सी0	3553	29288	27.05 %	27.69%
सामान्य	6870	44269	52.31%	41.86%
ए0सी0	2710	32190	20.63%	30.44%
सेवानिवृतअभ्यर्थी	5	436	0.03%	0.41%

ग) महोदय जी, सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से नियक्त श्रमशक्ति के लिए कोई स्थानांतरण नीति नहीं बनायी गई हैं।